संख्या: 116 /2024/ 754 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च, 2024

विषय: उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार**,** लखनऊ में संरक्षित ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं संरक्षण कार्य हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 20.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4720/सं0नि0- 5(8)/2023-24 दिनांक 22 फरवरी, 2024 एवं निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ के पत्र संख्या- 1032/तीन-1/2023-24 दिनांक 16 फरवरी, 2024 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार**,** लखनऊ में संरक्षित ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं संरक्षण कार्य हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित कर उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत स्वीकृति उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ का होगा।
(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
(6) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो।

3. उक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 116 /2024/ 754 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।